त्रयोदश माला, खंड 14, अंक 1

सोमवार, 19 फरवरी, 2001
30 माघ, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 51
Date 10/7/2001

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खण्ड 14, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)

अंक 1, सोमवार, 19 फरवरी, 2001/30 माघ, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii)–(xiii)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xv)
मंत्रिपरिषद	(xvii)–(xviii)
राष्ट्र गान	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1-21
निधन सम्बन्धी उल्लेख	21-28
गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप से हुई हजारों लोगों की मृत्यु तथा हजारों अन्य घायलों के बारे में उल्लेख	28

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुराई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा,. डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी. डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तिरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के. के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुम्बुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बैतूल)

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदल लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी. आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी. एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पद्मसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा–पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा. ए. डी. के. (तिरूचेंदूर)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर. एल. (चिकबल्लपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी. जे. (पोरबंदर)

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए. सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठाकुर, डा. सी. पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावकरसू, श्री (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिनशा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री माानसिंह (मांडवी)

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता, उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी. एच. (तिरुनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर. एस. (बागलकोट)

पााटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वि. (लातूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी. के. (हिन्दूपुर)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डा. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए. के. (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम. ओ. एच. (पांडिचेरी)

फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल (टोंक)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे. एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवनागौड़, श्री कोलुर (बेल्लारी)

बसवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालयोगी, श्री जी. एम. सी. (अमालापुरम)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)

बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)

बेगम, नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर. एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मरांडी, श्री बाबू लाल (दुमका)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

मांझी, श्री रामजी (गया)

मांझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री एस. बी. (कृष्णनगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनि लाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस. (विशाखापत्तनम)

मेहता, श्रीमती जयवंती (मुंबई दक्षिण)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमण, डा. (राजनदगाव)

रमैया, डा. बी. बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदाई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

ेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी. पी. (कोयम्बटूर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच. जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, श्री डी. वी. जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई. वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन. आर. के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (भिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी. वी. एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस. पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)
वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)
वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)
वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर. (मैसूर)
विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)
विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम. (भद्राचलम)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)
वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरुपति)
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)
वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)
वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)
वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)
वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)
वैको, श्री (शिवकाशी)
व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)
शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू)
शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)
शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)
शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)
शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)
शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)
शिवकुमार, श्री वी. एस. (तिरुअनन्तपुरम)
शुक्ल, श्री श्यामा चरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)
श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी. (चिकमंगलूर)
श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन. टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)
संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)
संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)
संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)
सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फर नगर)
सनदी, प्रो. आई. जी. (धारवाड़ दक्षिण)
सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)
सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)
सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)
सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)
सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)
सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)
सांगतम, श्री के. ए. (नागालैंड)
सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)
सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाडा)
साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)
साहू, श्री अनादि (बरहामपुर)
साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)
सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उ.प्र.)
सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)
कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)
सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)
सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)
सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)
सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)
सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)
सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)
सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)
सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)
सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)
सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)
सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)
सिंह, श्री बहादुर (बयाना)
सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)
सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)
सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)
सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)
सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री रामानन्द (सतना)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)
सिंह, श्री साहिब (बाहरी दिल्ली)
सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)
सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)
सिंह, सरदार बूटा (जालौर)
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)
सिकदर, श्री तपन (दमदम)
सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)
सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)
सिंह देव, श्री के. पी. (ढेंकानाल)
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम. (शिवगंगा)
सुधीरन, श्री वी. एम. (अलेप्पी)
सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)
सुब्बा, श्री एम. के. (तेजपुर)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी. एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह (गोधरा)

स्वाइं, श्री खारवेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक़, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी. एम. सी. बालयोगी

उपाध्यक्ष

श्री पी. एम. सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री के. येरननायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी, जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है अर्थात् : (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, (2) योजना, (3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, (4) परमाणु ऊर्जा (5) अंतरिक्ष
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	गृह मंत्री
श्री अनन्त कुमार	पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री टी. आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
कुमारी उमा भारती	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री जगमोहन	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
श्री अरूण जेटली	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री
डा. सत्यनारायण जटिया	श्रम मंत्री
श्री मनोहर जोशी	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री एम. वैंकय्या नायडू	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	कृषि मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राम विलास पासवान	संचार मंत्री
श्री सुन्दर लाल पटवा	खान मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	विद्युत मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री शांता कुमार	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री जसवन्त सिंह	विदेश मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	सूचना और प्रसारण मंत्री
डा. सी. पी. ठाकुर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री शरद यादव	नागर विमानन मंत्री
श्री अर्जुन सेठी	जल संसाधन मंत्री

राज्य मंत्री

(स्वतन्त्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन

	और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री
श्री अरूण शौरी	विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

मेश बैस	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल–संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीराम चौहान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णमराजू	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. धनंजय कुमार	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनि लाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजित कुमार पांजा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. देवेन्द्र प्रधान	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. रमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री टीएच. चाओबा सिंह	कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. रीता वर्मा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुकमदेव नारायण यादव	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 19 फरवरी, 2001/30 माघ, 1922 (शक)

लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब राष्ट्र गान की धुन बजाई जाएगी।

राष्ट्र गान

(राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 1.31 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभापटल पर रखेंगे।

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 19 फरवरी, 2001 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण** की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण#

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2001 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। मैं इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट और विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

संसद का यह सत्र गत माह गुजरात में आए भूकम्प के कारण हुए विनाश की भयंकर छाया में हो रहा है। इसमें हजारों जानें गईं, हजारों करोड़ रुपये की सरकारी और निजी सम्पत्ति नष्ट हुई और बहुत से लोग बेघर हो गए। हम आज शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। हम उन्हें, और भूकम्प से प्रभावित अन्य सभी को, विश्वास दिलाते हैं कि संकट और वेदना की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र उनके साथ है, और उसने पूरी सहानुभूति और दृढ़ता का परिचय दिया है। इस दुखद घटना से विश्व की अनेक सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और बहुपक्षीय एजेन्सियों ने खुले दिल से, इस राष्ट्रीय प्रयास में योगदान दिया है। मेरी सरकार और भारत की जनता उन सभी की अत्यधिक आभारी है।

केन्द्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार राज्यभर में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों को मिलकर कर रही हैं। मैं थलसेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और अफसरों की इस प्रयास में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए प्रशंसा करता हूं। अन्य सभी राज्यों की सरकारें भी गुजरात की सहायता में बढ़कर आगे आई हैं। अवश्य ही, यह सभी केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियों के समन्वित प्रयास का फल है कि विद्युत, दूरसंचार, रेल, हवाई व सड़क संपर्कों की उल्लेखनीय गति से बहाली हुई। बड़े पैमाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सराहनीय योगदान ने इन प्रयासों में बहुत सहायता की है और इन्हें सुदृढ़ बनाया है। जीवित बचे लोगों की सहायता करने के लिए हजारों स्वयंसेवक दिन-रात काम कर रहे हैं। मैं, इस सम्मान्य सदन की ओर से, उनके समर्पित और अथक कार्यों के लिए उनकी सराहना करता हूं। बाह्य अथवा आंतरिक संकट की घड़ी में, हमारे देशवासियों ने सदैव अपूर्व एकता और सेवा भावना से कार्य किया है। हमें इन परोपकारी गुणों को और विकसित करना चाहिए ताकि ये हर समय, हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकें।

गुजरात में आई विपत्ति, 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात और हाल के वर्षों में देश के अन्य भागों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी आपदा प्रबंध क्षमताओं का विस्तार करने और उन्हें आधुनिक बनाने की तात्कालिक आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है। हमें निर्माण तथा नगर नियोजन नियमों में तत्काल संशोधन करने होंगे तथा उन्हें अद्यतन बनाना होगा। हमें उन्हें दृढ़ता से लागू करने और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि उनकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

---

*राष्ट्रपति ने अभिभाषण अंग्रेजी में दिया।

**ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-3243/2001

#अभिभाषण का हिन्दी पाठ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

की जाए। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि हमारे पास केन्द्र, राज्य तथा जिलों में एक व्यापक आपदा प्रबंध योजना हो, जिसके विशिष्ट दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक उद्देश्य हों। हमें सामूहिक रूप से प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि आपदा से बाद का जीवन उससे पहले के जीवन से बेहतर हो।

मुझे खुशी है कि सरकार ने गुजरात भूकंप पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में आम सहमति होने पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति गठित की गई है। इसमें, अन्य के साथ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह गुजरात में राहत, ंस और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों के लिए अल्प, मध्य और ालिक उपायों का सुझाव देगी। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगी। यह, भविष्य में, राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी और दीर्घकालीन नीति के लिए आवश्यक संस्थागत और विधायी उपायों पर भी विचार करेगी। इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित करने वाले मापदण्डों पर भी विचार करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार एक स्थायी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, और राज्यों में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरणों की स्थापना करने पर विचार करेगी।

भारत के संपूर्ण इतिहास में, तीर्थों ने लोगों को धार्मिक निष्ठा और राष्ट्रीय एकता के बंधनों में बांधकर एकजुट रखने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। इलाहाबाद में आयोजित महाकुंभ में एकत्रित अपार जनसमूह में आस्था के भव्य प्रदर्शन ने पुनः यह बात सिद्ध की। मैं इस महापर्व की सुचारू व्यवस्था करने पर उत्तर प्रदेश शासन, रेलवे और सभी अन्य सरकारी तथा गैर–सरकारी एजेन्सियों को उनके समन्वित प्रयासों के लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है।

यह वर्ष, हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती समारोहों का समापन वर्ष है। जैसे–जैसे साल बीतते जाएंगे, 15 अगस्त, 1947 और 26 जनवरी, 1950 इतिहास के पन्नों में और पीछे होते चले जाएंगे। ये अतीत की बात लग सकते हैं, खासतौर पर भारत के युवकों को, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत हैं। फिर भी, समय हमारे देश के बृहत इतिहास में इन दो तारीखी दिनों के महत्व को कम नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पवित्र ज्योति नई शताब्दी और सहस्राब्दि में भारत की यात्रा को प्रदीप्त करती रहेगी। इस संसद को, जोकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुना हुआ सर्वोच्च निकाय है, हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित गणतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक योगदान करने का संकल्प करना चाहिए।

यद्यपि हम सभी को स्वतंत्रता के बाद हुई भारत की उप–लब्धियों पर गर्व है, फिर भी हम उन गंभीर चुनौतियों के बारे में भी समान रूप से जागरूक हैं, जिनका हम अभी भी सामना कर रहे हैं। डा. बाबा साहेब अंबेडकर के सचेतक शब्दों से हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय, बड़े विश्वास से कहा था "26 जनवरी, 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में समानता होगी, और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता। हमें शीघ्रातिशीघ्र इस अंतर्विरोध को दूर करना होगा"। दुर्भाग्य से, जिस अंतर्विरोध के बारे में डा. अंबेडकर और स्वतंत्रता आन्दोलन के बहुत से अन्य समर्थकों ने हमें आगाह किया था, वह आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन को क्षति पहुंचा रहा है। इसलिए, हम सभी को अपनी स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र को तब तक अधूरा मानना चाहिए, जब तक कि हम इस अन्तर्विरोध को समाप्त न कर दें और अपने महान राष्ट्र का निर्माण ऐसी मातृभूमि के रूप में करें जिसमें उसके सौ करोड़ से भी अधिक नागरिकों को न्याय और समान अवसर मिलें।

भारत में लोकतन्त्र की मुख्य उपलब्धियों में से एक यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, न केवल मतदाता के रूप में, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकारी उत्तरदायित्व के धारकों के रूप में भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही, इस सकारात्मक अनुभव ने महिलाओं और पुरुषों, दोनों को संसद और राज्य विधान सभाओं में हमारी बहनों के अल्प–प्रतिनिधित्व के बारे में जागरूक किया है। संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इस व्यापक समर्थन के परिप्रेक्ष्य में था, संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधेयक अभी तक अधिनियम नहीं बना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक पर सहमति बनाएं और उसे इस सत्र में पारित करें। हम यह वर्ष 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मना रहे हैं। भारतीय संसद द्वारा ऐसा करना इसके लिए समीचीन भेंट होगी।

भारत ने पिछले पखवाड़े में अपना सबसे बड़ा जनगणना अभियान आरंभ किया है। हमारी जनसंख्या अब 100 करोड़ को पार कर गई है। पिछले वर्ष हमने एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी अंगीकार की है। यह नीति तीन प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई है। ये हैं–जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना; आकार को स्थिर बनाना; और सारी जनसंख्या, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों के सहयोग के कुछ प्रोत्साहन और हतोत्साहन का कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं के पूर्ण सहयोग से बिना जोर–जबरदस्ती के लागू किया जाना चाहिए।

भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी संभावित घटना का मुकाबला करने के लिए देश की स्ट्रैटेजिक रेस्पांस कैपेबिलिटी को सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। मंत्रियों के एक दल ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर करगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच की है और यह शीघ्र ही अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा। अपने देश में बनाए गए हल्के लड़ाकू विमान ने गत माह सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्र इस वैमानिक उपलब्धि और प्रक्षेपास्त्र विकास में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए भी अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पित कार्य की प्रशंसा करता है।

सरकार जम्मू–कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक बहु–कोणीय नीति अपना रही है। इसके एक भाग के रूप में इसने 19 नवम्बर, 2000 को रमजान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में संघर्ष की पहल न करने की एकतरफा घोषणा करके एक प्रमुख शांति मिशन आरम्भ किया है। इस साहसिक पहल की अवधि दो बार बढ़ाकर 26 फरवरी 2001 तक रखी गई है। जैसी कि प्रत्याशा थी, इसका जम्मू–कश्मीर के लोगों ने भरपूर स्वागत किया जो अपने इस सुन्दर राज्य में उग्रवाद और हिंसा की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पूरा समर्थन दिया है क्योंकि वह इसे कश्मीर मामले के शांतिपूर्वक और स्थायी समाधान के लिए भारत की सच्ची वचनबद्धता के एक और प्रमाण के रूप में देखता है।

हम सभी के लिए यह अत्यन्त दुख और चिन्ता का विषय है कि पाकिस्तान ने भारत के सद्भाव के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं की है। पाकिस्तान की धरती से होने वाले सीमा–पार के आतंकवाद तथा द्वेषपूर्ण भारत विरोधी प्रचार में समाप्ति तो दूर, कोई कमी भी नहीं आई है। उन लोगों द्वारा 'जेहाद' की ओट में बर्बरतापूर्ण कृत्यों के कारण रोजाना बहुत से बेकसूर लोग मर रहे हैं। मानवता के विरुद्ध किए जा रहे ये कृत्य धर्म का उपहास हैं और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत के साथ बातचीत फिर शुरू करने की उसकी उत्सुकता संबंधी उसके प्रकथन तब तक विश्वसनीय नहीं होंगे, जब तक कि वह आतंकवादियों द्वारा गोली–बारी कराता रहेगा। यदि पाकिस्तान सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाए तो भारत वार्ता प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए तत्पर है। हमारी सेना और अर्ध–सैनिक बल कष्टप्रद परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र उनकी अटल दृढ़ता एवं बलिदान की कद्र करता है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी।

जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद अधिकाधिक भाड़े के विदेशी गुटों तक सीमित होकर रह गया है। इससे राज्य में लोकतान्त्रिक कार्यकलाप की गुंजाइश बढ़ गई है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में राज्य के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैं फिर से यह दोहराता हूं कि सरकार राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से वार्ता के लिए तैयार है।

पूर्वोत्तर की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में शान्ति और सामान्य स्थिति के लिए राजनीतिक स्थिरता और तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास जरूरी है। इसे उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ जोड़ना होगा। पूर्वोत्तर के लिए तैयार किए गए विकास संबंधी विशेष पैकेज को तीव्रता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष पर्याप्त विकास संबंधी संसाधन दिए जाते हैं, परन्तु बुनियादी तौर पर उनका प्रभाव उस अनुपात में नहीं है। मैं, राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी निधियों का कोई कुप्रबंध या दुरुपयोग न हो। इसके लिए वे प्रभावी विकेन्द्रीकरण करें, लोकतान्त्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं और लोक संगठनों की भागीदारी बढ़ाएं। उन्हें अपने संबंधित राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी अवश्य करनी चाहिए।

सरकार पंथनिरपेक्षता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर कायम है। सांप्रदायिक तथा जातीय हिंसा लगातार घट रही है। भारत में सांप्रदायिक गड़बड़ी को फैलाने के लिए सीमा पार से की जा रही लगातार कोशिशों के मद्देनजर, यह सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमने सांप्रदायिक एवं उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर और निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करने के संबंध में कानून अपना कार्य करेगा।

पिछले वर्ष हुई अति महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी–तीन नए राज्यों–छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का सृजन किया जाना। इस प्रकार, भारत संघ में राज्यों की संख्या 25 से 28 हो गई। इन नए राज्यों के बनने से वहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। इससे उनके सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी आएगी। मैं, आप सभी के साथ इन नए राज्यों को हार्दिक बधाई देता हूं।

केन्द्र तथा राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। अन्तर्राज्यीय परिषद् तथा उसकी स्थायी समिति की नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं। यह हमारे लोकतंत्र तथा हमारी संघीय राज्य व्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं। अगस्त में, आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें उग्रवाद, आतंकवाद तथा संगठित अपराध से निपटने के लिए राज्यों के बीच तथा केन्द्र व राज्यों के बीच और बेहतर समझबूझ तथा अधिक समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। राज्य द्वारा किए जाने वाले समान अंशदान

के आधार पर, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता अगले दस वर्षों के लिए 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें राज्य सरकारों की बिगड़ती राजकोषीय दशा के गंभीर मुद्दे का उल्लेख किया गया है। राज्यों के राजकोषीय घाटे को कम करने तथा चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सुधार लाने के लिए मानीटर किए जाने योग्य एक सुधार कार्यक्रम उसकी सिफारिशों में से एक है। केन्द्र में यही सकारात्मक उद्देश्य प्राप्त किए जाने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक तैयार किया गया है।

भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अब एक दशक या है। इस अवधि के दौरान, केन्द्र तथा राज्यों में विभिन्न ा और गठबंधनों वाली कई सरकारों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार सुधारों की कार्यसूची को बढ़ती राष्ट्रीय सहमति बनाए रखा गया है। इस सर्वसम्मति को व्यापक और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। यह हमेशा इस मापदण्ड से नियंत्रित होना चाहिए कि क्या अमुक नीतिगत परिवर्तन देश तथा आम आदमी के हितों को बढ़ावा देते हैं। सुधार प्रक्रिया को इस प्रकार व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है कि आत्म–निर्भरता को पुष्ट किया जा सके, रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकें, गरीबी को तेजी से दूर किया जा सके। पिछले दशक के अनुभव ने यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि आर्थिक सुधार तभी वांछित परिणाम दे सकते हैं जब प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक और श्रम सुधार उनके अनुपूरक हों। ये सभी सुधार एक राष्ट्रीय प्रयास का अभिन्न अंग हैं, जिसका लक्ष्य भारत की प्रचुर क्षमता को 21वीं सदी में नवीकृत वास्तविकता में बदलना है।

भारत विश्व की दस तीव्रतम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में 6 से 7 प्रतिशत तक की वार्षिक दर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसा देश के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ, बाह्य मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों के बावजूद हुआ है। तथापि, हमें अपनी प्रति–व्यक्ति आय को दुगुना करने और गरीबी को आधा करने के लिए अगले दस वर्षों हेतु 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यदि सरकारें, राजनीतिक दल तथा जनता "तीव्र एवं अधिक संतुलित विकास" को दशक के सामूहिक मंत्र के रूप में अंगीकार कर लें, तो आज की समस्याओं को भविष्य में एक महोत्कर्ष की प्राप्ति के लिए अवसरों के रूप में बदला जा सकता है।

कृषि हमारे अधिकतर लोगों की जीविका का साधन बनी हुई है। पिछले वर्ष खाद्यान्नों की 209 मिलियन टन की रिकार्ड उपज के लिए हमारे परिश्रमी किसान शाबाशी के हकदार हैं। हमारा बफर स्टाक 40 मिलियन टन से अधिक हो गया है जो अब तक का सर्वाधिक है। आज भारत संसार में अधिकतम दूध उत्पन्न करने वाला प्रथम देश तथा अधिकतम चावल, गेहूं, फल और सब्जियां पैदा करने वाला दूसरा देश बन गया है। हम संसार में अंडों के पांचवें तथा मछलियों के छठे सबसे बड़े उत्पादक हैं। कृषि का त्वरित और सतत विकास करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पिछले वर्ष, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। इसमें चार प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर रखी गई है जो हमारी मृदा, जल तथा जैव विविधता के संसाधनों के प्रभावी दोहन पर आधारित है। इसका उद्देश्य कृषि, सिंचाई, कृषि प्रसंस्करण, वितरण तथा विपणन में अधिक सार्वजनिक और निजी निवेशों को बढ़ावा देना भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैव–उर्वरकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछले वर्ष घोषित की गई राष्ट्रीय भण्डारण नीति से खाद्यान्नों की थोक में समेकित उठाई–धराई, भण्डारण एवं ढुलाई के लिए अत्याधुनिक भण्डारगृहों के निर्माण में निजी निवेश को सुलभ बनाया जाएगा।

अपने किसानों को गैर–वाजिब विश्व प्रतियोगिता से बचाने के लिए खाद्य तेलों सहित कई कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिए गए। सरकार ने लेवी चीनी का अनुपात 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करके चीनी पर से चरणबद्ध रूप में नियंत्रण हटाना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान, 65 लाख किसानों का राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अधीन बीमा किया गया। अब तक, 105 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं।

सिंचाई, विद्युत और ग्रामीण आधारभूत ढांचे में नई पूंजीगत परिसम्पत्तियां बनाने के बजाय इन्पुट्स पर सब्सिडी देकर अधिक कृषि उत्पादन पर जोर देने की नीति ने कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफी कम कर दिया है। इसने दुर्लभ संसाधनों के अकुशल इस्तेमाल को प्रेरित करने के अतिरिक्त, भूमि, जल संसाधनों, नहरों तथा सड़कों को खराब कर दिया है। इससे फसल उत्पादकता तथा किसानों के लाभ अवरुद्ध हुए हैं। इस दुष्चक्र को अधिक कार्यक्षमता और उत्पादकता के सुचक्र में बदलने की आवश्यकता है ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को, खासकर उनमें से निर्धनतम को फायदा हो सके।

तीव्र ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बहुत कम गांवों का सड़कों से जुड़ा होना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य अगले सात वर्षों में 500 से अधिक की जनसंख्या वाली एक लाख से ज्यादा की ऐसी ग्रामीण बस्तियों को, जो सड़कों से नहीं जुड़ी हैं, बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराना है। केन्द्र ने, पहली बार, ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 2,500 करोड़ रुपये

प्रतिवर्ष का प्रावधान किया है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना राज्य सरकारों तथा पंचायती राज निकायों की पूर्ण भागीदारी से कारगर ढंग से कार्यान्वित की जाएगी।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी जल विभाजक और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को एक ही छत्र के नीचे लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल स्कीमों पर अभी तक पर्याप्त संसाधन लगाए गए हैं, लेकिन स्वामित्व की स्पष्ट व्याख्या के अभाव, घटिया आयोजन तथा रखरखाव के कारण इन योजनाओं के ठोस तथा अपेक्षित लाभ नहीं मिले हैं। अतः ग्रामीण पेय जल पूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा अनुरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत करने के लिए, प्रारंभ में अनेक जिलों में प्रायोगिक आधार पर, नए प्रयास किए गए हैं।

सरकार ने, खाद्य सब्सिडियों के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के संबंध में सर्वसम्मति को देखते हुए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का मासिक आबंटन, आधी आर्थिक लागत पर दस किलो से बढ़ाकर बीस किलो कर दिया है। दिसम्बर में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना हमारे आर्थिक सुधारों के मानवीय पक्ष को दर्शाती है। यह देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को और भी कम दरों पर हर महीने 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी तथा यह दर गेहूं के लिए दो रुपये प्रति किलो और चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलो होगी। सरकारी नीतियों के कारण, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य उचित रहे हैं। देश के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु की कमी की सूचना नहीं मिली है।

तीव्रतर एवं अधिक संतुलित आर्थिक विकास के लिए भारत की भौतिक अवसंरचना को आधुनिक बनाने और उसका विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। हमने हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में गंभीर अड़चनें अभी भी बनी हुई हैं। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में सुधारों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है। नई दूरसंचार नीति में निर्दिष्ट कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। दूरसंचार सेवा विभाग को भारत संचार निगम लिमिटेड के रूप में निगमित कर दिया गया है। इन सुधारों के परिणाम अब साफ दिखाई देने लगे हैं। टैरिफ में तेजी से कमी हुई है, स्थानीय कॉलों के दायरे का विस्तार हुआ है और इंटरनेट सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति और सुधार हुआ है। प्रस्तावित संचार अभिसरण विधेयक दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण के उभरते परिदृश्य के अनुसार होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी हमारी अर्थव्यवस्था में तीव्रतम गति से विकसित हो रहे एक क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आई है। हमारे सॉफ्टवेयर निर्यात 50 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से लगातार बढ़ रहे हैं; यह दर प्रशंसनीय है। यह निर्यात पिछले वर्ष 4 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था। यह हमें विश्वास दिला रहा है कि सन् 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य यकीनन प्राप्त हो सकेगा। 'द नालेज इकोनमी' गरीबी दूर करने और हमारे सभी नागरिकों को समृद्ध बनाने हेतु भारत के समक्ष एक युग–प्रवर्तक अवसर प्रस्तुत करता है बशर्ते हम सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार करके अपने समृद्ध मानव संसाधन का त्वरित उपयोग कर सकें। सरकार ने 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य अग्रणी अभियांत्रिकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दुगुना करने और 2003 में तिगुना करने का एक कार्यक्रम तैयार किया है। निजी क्षेत्र तथा अनिवासी भारतीयों के परोपकारार्थ प्रयासों द्वारा विश्वस्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति देने संबंधी एक योजना विचाराधीन है। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय मिशन शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। ये सभी प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास की गति को तेज करेंगे।

समुचित सुरक्षा उपायों के साथ डायरेक्ट–टू–होम सेवाओं को अनुमति दे दी गई है ताकि इस बेहतर प्रौद्योगिकी के लाभ हमारे टेलीविजन दर्शकों को मिल सकें। विकास संबंधी प्रसारण में दूरदर्शन का योगदान तथा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका सुविदित है। इसने विशेष रूप से जम्मू–कश्मीर के लिए कशीर चैनल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे के प्रसारण वाला उपग्रह चैनल शुरू किया है ताकि इन राज्यों तथा देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हमारे भाई–बंधुओं के बीच भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता के बंधन सुदृढ़ बन सकें। अनेक शहरों में प्राइवेट एफ एम रेडियो सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगी। इन प्रत्येक शहरों में एक चैनल को विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।

सुसमन्वित और बहु–विधियों वाली परिवहन अवसंरचना का समग्र विकास हमारी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वर्णिम चतुर्मार्गीय तथा उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम मार्ग वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर प्रगति तीव्रगति से हो रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण सहित पर्याप्त गैर–बजटीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इस पर 54,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। केन्द्र व राज्यों द्वारा कई नीतिगत परिवर्तन लागू किए गए हैं जिससे कि हमारे बंदरगाहों की क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु निजी एवं कैप्टिव

प्रयोक्ता क्षेत्र का निवेश आकर्षित किया जा सके। इस माह के आरंभ में, एन्नोर स्थित एक नया बड़ा बन्दरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारत का पहला निगमित पत्तन होने के कारण यह भविष्य में, देश में होने वाले बंदरगाह विकास के लिए पथ–निर्धारक होगा।

यद्यपि भारतीय रेल राष्ट्र की जीवनरेखा है, फिर भी वह वर्षों से उपेक्षित रही है। उसकी वित्त–व्यवस्था शोचनीय दशा में है, जिससे वह काफी समय से लंबित कई विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाई है। रेल सुरक्षा में सुधार के अत्यावश्यक कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए भी उसके पास संसाधनों की भारी कमी है। इस कार्य के लिए अनुमानित 15,000 करोड़ रुपये। अपारंपरिक तरीकों द्वारा आंतरिक संसाधन जुटाने ड़ी और अभी तक अप्रयुक्त क्षमता रेलवे के पास है। इसने हाल ही में नई लाइनें बिछाने, आमान परिवर्तन और डबलिंग परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों के साथ कई अभिनव कार्यक्रम शुरू किए हैं। रेलवे संबंधी एक विशेषज्ञ समिति ने प्रचालनों, संगठन, वित्तपोषण, निवेश, टैरिफ और अन्य नीतिगत मुद्दों का एक व्यापक अध्ययन हाल ही में पूरा किया है। सरकार इस समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और शीघ्र ही यथोचित कार्रवाई करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु, इस भूमिका का स्वरूप उसी स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता जिसकी परिकल्पना 50 वर्ष पहले की गई थी। वह ऐसा समय था जब प्रौद्योगिकीय परिदृश्य तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण बहुत भिन्न थे। भारत में निजी क्षेत्र ने समय के साथ उन्नति की है तथा वह हमारे राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से योगदान दे रहा है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को राष्ट्रीय क्षेत्र के परस्पर अनुपूरक घटकों के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र को उसी प्रकार और अधिक सार्वजनिक जिम्मेदारियां वहन करनी चाहिए जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रतियोगी बाजार में परिणाम प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यम तो लाभ कमा रहे हैं, जबकि कुछ को भारी संचित हानि हुई है। सार्वजनिक वित्त पोषण व्यवस्था पर भारी दबाव के कारण सरकारें उन्हें लम्बे समय तक बनाए रखने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हैं। तद्नुसार, केन्द्र और कई राज्य सरकारों को विनिवेश कार्यक्रम अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, सरकार के दृष्टिकोण के त्रिविध उद्देश्य हैं : क्षमतायुक्त व्यवहार्य उपक्रमों का पुनरुत्थान; सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को बन्द करना जिनका पुनरुत्थान संभव न हो; और सार्वजनिक क्षेत्र के गैर–अनुकूल उपक्रमों में सरकारी भागीदारी को कम करके 26 प्रतिशत या उससे कम करना। आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एवं अन्य उपायों के द्वारा कामगारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम ने पहले ही कुछ आरंभिक सफलता अर्जित कर ली है। सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स, एअर इंडिया, भारतीय पर्यटन विकास निगम, आई.पी.सी.एल., विदेश संचार निगम लि., सी.एम.सी., बालको, हिन्दुस्तान जिंक और मारूति उद्योग जैसे उद्यमों में अपनी भागीदारी के पर्याप्त हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय किया है। जहां अनुकूल साझेदारों की आवश्यकता होगी, उनका चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार आवश्यक हैं। देश के अधिकतर भागों में विद्युत क्षेत्र में लम्बे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने, और बिजली को सबके लिए सुलभ बनाने हेतु, हमने सन् 2012 तक संबद्ध पारेषण एवं वितरण प्रणालियों सहित 100,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 800,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत विनियमन आयोगों को, केन्द्र तथा राज्यों दोनों में, टैरिफ के यथोचित निर्धारण, राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने, और निजी निवेशकों में विश्वास पैदा करने में प्रधान भूमिका निभानी होगी। मैं, राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और विद्युत सेवाओं के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से विद्युत क्षेत्र में सुधारों का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। आरम्भ में, इस परिवर्तन से परेशानी हो सकती है, परन्तु, बाद में, यह सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।

इस वर्ष तीन नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया। न्यूक्लिअर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की चतुर्थ इकाई के क्रिटिकैलिटी और सिंक्रोनाइजेशन के बीच मात्र चौदह दिन का समय लेकर विश्व रिकार्ड बनाया। ऊर्जा की कमी को पूरा करने और पर्यावरणीय ह्रास नियंत्रित करने के लिए एक व्यवहार्य और स्वच्छ विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा पर अब सारे विश्व का ध्यान है। हमारा लक्ष्य अगले बारह सालों में नवीकरणीय स्रोतों से 10,000 मेगावाट और उत्पादन करने का है, जिससे संस्थापित होने वाली अतिरिक्त क्षमता में इसका भाग 10 प्रतिशत हो जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधिक नीति बनाने के लिए 'इंडिया हाइड्रोकार्बन विजन 2025' रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। पिछले अट्ठारह माह में कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि से इस वर्ष हमारा तेल आयात बिल लगभग 80,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। इसलिए, सरकार अपने देश में कच्चे तेल का उत्पादन और बढ़ाने के लिए विशेष उपाय कर रही है। हमने इस वर्ष पच्चीस प्रखंड अन्वेषण के लिए दिए हैं। हमें आशा है कि सितम्बर तक 25

और प्रखण्ड दे दिए जाएंगे। हमने रूस स्थित सखालिन–I आयल फील्ड में बीस प्रतिशत इक्विटी खरीद कर विदेश में तेल इक्विटी भी प्राप्त कर ली है। विदेश में ऐसी ही और अन्य तेल इक्विटी प्राप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। हमने कृष्णा–गोदावरी थाले के गहरे समुद्र में और कैम्बे क्षेत्र के उथले पानी में तेल और गैस का पता लगाया है। भारत ने, इस वर्ष कच्चे तेल के परिष्करण में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष तेल विपणन कंपनियों ने 12 मिलियन एल पी जी कनेक्शन प्रदान किए, जबकि लक्ष्य 10 मिलियन का था। एल पी जी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है और अब ये केन्द्रों पर तुरंत उपलब्ध हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी कनेक्शन मुहैया कराने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार कोयला क्षेत्र में प्रगति के लिए एक द्विपक्षीय नीति अपना रही है। कोयला खनन में हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देंगे। हम संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाकर, कोल इंडिया को भी सुदृढ़ बनाएंगे। धनबाद के निकट बागदिगी में हाल में हुई त्रासदी ने कोयला खदानों में सुरक्षा के मामले की तरफ एक बार फिर ध्यान आकृष्ट किया है। सुरक्षा संबंधी अनिवार्यता नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तकनीक अपनाकर कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ गहन रूप से संबद्ध है। इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं है। दुर्घटना–संभावित सभी कोयला खदानों का एक व्यापक पुनर्सर्वेक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं।

वस्त्र व्यवसाय एक पारंपरिक उद्योग है, जिसमें भारत विश्व में काफी समय तक लाभप्रद स्थिति में रहा है। लेकिन वह स्थिति अब नहीं रही क्योंकि यह क्षेत्र विश्व बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता के अनुरूप अपना पुनर्गठन नहीं कर पाया। इसकी उपेक्षा समाप्त करने और इस क्षेत्र में त्वरित विकास की प्राप्ति के लिए एक नई वस्त्र नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने और सन् 2010 तक वस्त्र और परिधान निर्यात वर्तमान 13 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 50 बिलियन अमरीकी डालर करने के लिए अपने देश के वस्त्र निर्माण क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक युक्त प्रसुविधाओं को बढ़ावा देना है। वस्त्र गुणवत्ता उन्नयन निधि योजना और कॉटन टैक्नोलॉजी मिशन के अलावा, दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना जैसी पृथक योजनाएं भी शुरू की गई हैं जिससे कि जुलाहों, किसानों और दस्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारत रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में है। इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव है कि ऑटोमैटिक रूट के जरिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा वर्तमान 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी जाए। नई औषध नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग विश्व में अग्रणी बन सके।

पर्यटन उद्योग विश्व में तीव्र गति से बढ़ता उद्योग है। इसकी भारत में अत्यधिक अदोहित सम्भाव्यता है। सरकार ने राज्यों के समन्वय से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार करने और परंपरागत व अपरंपरागत, दोनों प्रकार के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को सुदृढ़ बनाया है।

वर्षों की धीमी विकास–दर के पश्चात हमारा निर्यात तेजी से बढ़ता रहा है। यह अप्रैल और दिसम्बर के बीच डालर के हिसाब से 20.4 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पूरे वर्ष के लिए 18 प्रतिशत का लक्ष्य था। विदेशी मुद्रा भण्डार इस वर्ष 2 फरवरी को 38.5 बिलियन अमरीकी डालर था जो सुखद स्थिति है। व्यापार नीति की हमारी उदारीकरण की प्रक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार लाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन को दी गई अपनी वचनबद्धता के अनुसार, अप्रैल में ज्यादातर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह परिवर्तन भारतीय कृषि और उद्योग विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कष्टदायी न हो। मुम्बई, कांडला, सूरत और कोची स्थित विद्यमान निर्यात संवर्धन अंचलों को विशेष आर्थिक अंचलों में बदल दिया गया है। ऐसे नए अंचल नौ अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जाएंगे।

लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत और प्रत्यक्ष निर्यात में 35 प्रतिशत से ज्यादा है। हमने लघु और अति लघु क्षेत्र के लिए एक विस्तृत नीतिगत पैकेज तैयार किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार की जा रही है। देशी व विदेशी बाजारों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों को कारगर ढंग से बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य ब्रांड नाम "सर्वोदय" शुरू किया गया है।

अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विश्व बाज़ार में भारत के समक्ष आ रही कड़ी चुनौतियों को देखते हुए यह बात ज्यादातर स्वीकार की जा रही है कि हमारे कुछ श्रम कानूनों में होने वाले संशोधनों को अब और टाला नहीं जा सकता। यह संशोधन वास्तव में श्रम–अनुकूल हैं क्योंकि इनसे संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। वे व्यवसायिकों को विद्यमान यूनिटों के विस्तार और नई यूनिटों अर्थात् दोनों में निवेश के अवसर प्रदान करके तीव्र आर्थिक विकास में आने वाली अड़चनों को हटाकर ऐसा करेंगे। उदाहरण के तौर पर,

भारत वस्त्र, हल्की इंजीनियरी, खिलौने, दस्तकारी, चमड़ा जैसे श्रम–प्रधान उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना एक विशिष्ट स्थान बना सकता है। सरकार ऐसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा उनके द्रुतगामी विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी।

सरकार इन अत्यावश्यक श्रम सुधारों को लागू करते हुए यह संकल्प करती है कि वह श्रमिकों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को किसी भी प्रकार शिथिल नहीं होने देगी। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण और [illegible] के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। उनकी [illegible] के विकास तथा स्वरोजगार की सुविधाएं बढ़ाई [illegible] श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्षेत्र बढ़ाने तथा लाभों के उदारीकरण के लिए पहले ही कई उपाय किए जा चुके हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों तथा असंगठित श्रमजीवी वर्ग के लाभ हेतु जून, 2000 में जनश्री बीमा योजना शुरू की गई। श्रम मंत्रालय खेतिहर मजदूरों के लिए एक व्यापक समाज कल्याण योजना पर विचार कर रहा है। यह देश के श्रमिकवर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है। जिन राज्यों में बाल मजदूरी की प्रथा अब भी मौजूद है, वहां हम शिक्षा के माध्यम से पुनर्वास परियोजना प्रारंभ करना चाहते हैं। इसमें बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत का भविष्य बनाने में शिक्षा विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, सर्वाधिक लाभप्रद निवेश है। सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक समेकित राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसका उद्देश्य सन् 2010 तक चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता वाली आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का स्वामित्व और प्रबंधन स्थानीय लोगों के हाथों में रहेगा। इसमें शिक्षा की वैकल्पिक विधियों द्वारा बालिकाओं और सुविधा वंचित समूहों पर विशेषतया ध्यान दिया जाएगा। सरकार व्यावसायिक स्वरूप की शिक्षा देने और युवा वर्ग को इस योग्य बनाने के लिए उपाय करेगी कि वे स्वयं अपने कामधन्धे और स्वरोजगार के नए उपक्रम शुरू कर सकें।

हमारे समाज के सभी कमजोर वर्गों के तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास के प्रति मेरी सरकार मूलतः वचनबद्ध है। हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, सफाई कर्मचारियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए वित्त तथा विकास निगमों को और कारगर बनाने के लिए बहुत से कदम उठा रहे हैं। आय उपार्जित करने वाले उद्यमों, स्वरोजगार कार्यों तथा हुनर एवं प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु और सुविधाएं दी जाएंगी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धनों की आर्थिक उन्नति के लिए स्वावलंबी, विशेषतया महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे समूहों, को दिए जाने वाले अल्पऋण के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कृतसंकल्प है।

किसी राष्ट्र की संपदा मुख्यतः उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही है। विगत में किए गए प्रयासों के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए एक नई स्वास्थ्य नीति "सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा" के अभी तक अप्राप्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इन उपयोगी कार्यक्रमों में से एक, पिछले माह समाप्त हुआ "पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान" था जो अत्यधिक सफल रहा। सरकार लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य बड़ी चुनौतियों जैसे मलेरिया, काला–आजार और एचआईवी/एड्स की महामारी से निपटने के लिए यथासंभव रूप से अधिकाधिक सरकारी व गैर–सरकारी संसाधन जुटाकर शीघ्र ही इसी तरह के और राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। हमने कुष्ठरोग को समाप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। क्षय रोग के लिए अपनाई गई प्रत्यक्षतः अवलोकित रोग उपचार अल्पावधिक नीति के अन्तर्गत 300 मिलियन से अधिक लोगों को चिकित्सा प्रदान की गई जबकि दो वर्ष पहले 20 मिलियन को यह चिकित्सा मुहैया कराई गई थी। जब से इसे लागू किया गया है तब से अब तक लगभग सत्तर हजार जानें बचाई गईं। नाबालिगों को निकोटीन का आदी होने से बचाने के लिए मैं सरकार द्वारा सभी प्रकार के तम्बाकू विज्ञापनों एवं प्रायोजनों को प्रतिबंधित करने के लिए विधान बनाए जाने व किए गए अन्य उपायों की प्रशंसा करता हूं। हमने मानव जीन पर आधारित चिकित्सा अनुसंधान शुरू किया है ताकि आधुनिक विज्ञान के इस तेजी से उभरते हुए नए क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाया जा सके।

आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रतिरोधक, प्रोत्साहक और रोगनाशक उपचार बड़ी संख्या में हैं जो किफायती और कारगर दोनों ही हैं। हम अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यनीति में इन महत्वपूर्ण प्रणालियों की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। देशी और विदेशी दोनों बाजारों के लिए जड़ी–बूटी संबंधी उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, उत्पादन और मानकीकरण को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किया गया है। इस विषय के हमारे परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों के दौरान व्यापक स्तर पर विश्व का ध्यान आकर्षित होने की आशा है।

हमारे शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में हो रहा ह्रास गंभीर चिंता का विषय है। हमें पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से प्रभावी, सामाजिक रूप से उचित, सांस्कृतिक रूप से जीवंत

तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित शहरी विकास की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार राज्य और स्थानीय स्व–शासी निकायों के सहयोग से नीतियां तैयार करेगी। हुडको की सहायता से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासीय मकानों के निर्माण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रमों से शहरी गरीबी के उन्मूलन तथा गरीबों के लिए आश्रय की व्यवस्था करने में बहुत सहायता मिलेगी।

बार–बार सूखा पड़ने, बाढ़ आने, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेय जल की कमी ने जोरदार ढंग से हमें यह स्मरण कराया है कि यदि हम अपने जल संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध शुरू नहीं करते तो हमें भविष्य में अधिक गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को बनाए जाने के बाद, हमारे जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में अनेक समस्याएं उभर कर आई हैं। इसलिए राष्ट्रीय जल नीति का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया जिस पर पिछले वर्ष जुलाई में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की चौथी बैठक में चर्चा की गई। इस संबंध में उभरे मतभेदों को सुलझाने के लिए मंत्रियों का एक कार्यदल गठित किया गया है। सरकार विभिन्न प्रयोगकर्ता समूहों की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्र–व्यापी अभियान शीघ्र ही शुरू करेगी। आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 1999 की रिपोर्ट से यह पता चला है कि हमारा वन क्षेत्र 1997 में किए गए पिछले निर्धारण के बाद से 3,896 वर्ग कि.मी. बढ़ गया है।

भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में तीव्र प्रगति करना जारी है। पिछले वर्ष अपने यहां विकसित क्राइयोजेनिक इंजन का प्रथम परीक्षण किया जाना हमारी जीयो–स्टेशनरी सेटलाइट लांच केपेबिलिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे नवीनतम इनसेट–3बी की सहायता से स्वर्ण जयंती विद्या विकास अंतरिक्ष उपग्रह योजना शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। दो जय विज्ञान नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए गए हैं। पहला, कृषि जैव विविधता के संरक्षण और दूसरा घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संबंध में है।

न्याय विभाग मुकदमों में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक और मूल विधि की समीक्षा कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए दो विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली योजना में, काफी समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 1,734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करना शामिल है। दूसरी, चार महानगरों में न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की एक प्रायोगिक योजना है। यह जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मॉडल के रूप में काम करेगी।

सरकार, वर्तमान तथा अतीत को जोड़कर, भारतीय संस्कृति की रचनात्मक भावना को और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हमने अपनी समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत की देखभाल के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की समान सहभागिता को सुकर बनाने के लिए अभिनव पहल की है। हमने अन्य देशों से सांस्कृतिक और खेल संबंध बढ़ाने के लिए भी प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत नवम्बर में प्रथम एफ्रो–एशियन खेलों का आयोजन करेगा।

निरन्तरता और राष्ट्रीय सहमति की मजबूत नींव पर आधारित भारत की विदेश नीति को बदलते विश्व परिदृश्य के अनुरूप बनाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय यह मानने लगा है कि शांतिप्रिय, समृद्ध, सुदृढ़ और पुनरूत्थानशील भारत एशिया में और विश्व में शांति, स्थायित्व और संतुलन के लिए एक विश्वसनीय आधार है। हमारी विदेश नीति का मुख्य दृष्टिकोण दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इससे हम राष्ट्र निर्माण पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना है। वस्तुतः पाकिस्तान के सिवाय, अन्य सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ बने हैं।

भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में व्यापक पारस्परिक संपर्क हैं। प्रधानमंत्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पिछले वर्ष जुलाई में भारत आए और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों ने उनकी विस्तृत पुनरीक्षा की। अभी हाल हीं में निहित स्वार्थों द्वारा बाधा पहुंचाए जाने के बावजूद, यह प्रक्रिया भविष्य में भी ऐसे ही चलती रहेगी। भूटान और मालदीव की प्रगति में भी हमारी प्रबल रुचि है तथा एक–दूसरे के प्रति सम्मान तथा आपसी विश्वास के अपने संबंधों से यह लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। भारत आशा करता है कि अशांत अफगानिस्तान में शांति की बहाली जल्द होगी तथा वहां की जनता, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप तथा धार्मिक उग्रवाद के, स्वयं अपना भाग्य निर्मित करेगी।

अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग का केन्द्र बिन्दु आधारभूत व्यवस्था संबंधी संपर्कों में सुधार करना भी रहा है। अपने घनिष्ठ सहयोग और लोगों के आपसी संबंधों को और बढ़ाने के लिए बंगलादेश के साथ तीसरा ब्रॉड गेज रेल संपर्क अभी हाल ही में पुनः शुरू किया गया है। भारत–श्रीलंका मुक्त–व्यापार करार को लागू करने से आशा है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी वृद्धि होगी। हम इसी सप्ताह के अन्त में राष्ट्रपति चंद्रिका भण्डारनाइके कुमारतुंगा का दिल्ली में स्वागत करने और

अपने उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों पर उनके साथ व्यापक समीक्षा करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं। भारत की सहायता से म्यांमार के साथ सड़क सम्पर्क दोनों देशों के बीच यात्रा को सुगम और व्यापार को सुकर बनाएगा।

पिछले वर्ष की मेरी चीन यात्रा तथा अभी हाल ही में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री ली पेंग की भारत यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और सुधार हुआ है। हम पंचशील और एक–दूसरे के मसलों में परस्पर संवेदनशीलता बरतने के आधार पर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे पड़ौसी संबंध बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं।

भारत की "लुक ईस्ट" नीति के तहत प्रधानमंत्री ने गत ...म तथा इंडोनेशिया की सफल यात्राएं की। मैंने नवम्बर, ...गापुर की राजकीय यात्रा की। इंडो–चाइना तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध घनिष्ठ और सुदृढ़ हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ, जो हमारे पड़ौसी समान हीं हैं, आर्थिक तथा लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इस प्रयास में, मेकोंग–गंगा सहयोग पहल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले वर्ष अगस्त में जापान के प्रधानमंत्री श्री योशिरो मोरी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हमने 21वीं शताब्दी में विश्वव्यापी साझेदारी बनाने पर सहमति प्रकट की। इस वर्ष के अंत में, हम कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री किम डाइजंग की भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं।

हमारे मध्य एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से प्रगाढ़ संबंध हैं तथा उनके साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने को अधिक महत्व देते हैं। पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध कई सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यता से चले आ रहे हैं, और हम इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपने संबंधों का सम्मान करते हैं। मध्य–पूर्व महत्वपूर्ण शांति प्रक्रिया में गतिरोध, बल के अत्यधिक प्रयोग और हाल ही में हुई हिंसा पर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि फिलिस्तीन तथा इजरायल समेत क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को, सुरक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य सीमाओं में रहने का अधिकार है।

रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मैत्री अक्तूबर के दौरान राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की यात्रा से और अधिक सुदृढ़ हुई, जब हमने नई शताब्दी में भारत–रूस संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश तय करके नीतिगत साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के निरंतर मजबूत होते संबंध हमारे विदेशी संबंधों का एक महत्वपूर्ण नया आयाम हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा तथा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा ने हमारे संबंधों के इस नए दौर की मजबूत नींव रखी है। मैं सिलिकॉन वैली के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों तथा वास्तव में संपूर्ण भारतीय अमरीकी समुदाय की, उसकी शानदार सफलता पर, सराहना करता हूं। उन्होंने भारत के प्रति न केवल अमरीका के, बल्कि विश्व के नजरिए को बदल दिया है। हम मजबूत तथा पारस्परिक हितकर द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जार्ज डब्ल्यू. बुश प्रशासन के साथ लगातार प्रयासरत हैं। पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री की पुर्तगाल यात्रा के दौरान लिस्बन में सम्पन्न हुई सर्वप्रथम भारत यूरोपीय शिखरवार्ता से यूरोपीय संघ के साथ भारत की नीतिगत साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके तहत हमारे राजनीतिक, आर्थिक तथा वाणिज्यिक विनिमय को बढ़ाने के लिए हमें विश्वास है कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंधों को नए आयाम मिलते रहेंगे। भारत पूर्वी तथा मध्य यूरोप के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को और सुदृढ़ कर रहा है। उनमें से कई देशों के साथ उच्चस्तरीय विचार विनिमय किए जाने की योजना है।

अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ रूप से मैत्रीपूर्ण हैं और विकासशील देशों के हितों के प्रति हम सभी समान रूप से सजग हैं। इंडियन ओशन रिम भारत और दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका देशों के साथ और अधिक घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सर अनिरूद जगन्नाथ की हाल की भारत यात्रा से मॉरीशस से हमारी घनिष्ठ मैत्री और प्रगाढ़ हुई है। मैं, उनके राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर वहां जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति श्री अब्देलाजिज बाउतेफ्लीका इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति श्री ओल्यूसेगन ओबासंजो की यात्रा से इस महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। हम मोरक्को के शासक महामहिम मोहम्मद–6 की इस माह के अन्त में भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हम लेटिन अमरीका के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और कैरिबियन देशों और राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों के साथ अपने परंपरागत घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। फिजी के बहु–जातीय समाज में लोकतन्त्र का दमन हमारे लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत, फिजी में भेदभाव रहित लोकतन्त्र की शान्तिपूर्ण बहाली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह सहमति जताई है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सभी का समावेश हो तथा वह न्यायोचित हो। इसमें, सीमापार आतंकवाद सहित अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, हथियारों और नशीले

पदार्थों के अवैध व्यापार, धार्मिक कट्टरपन और सैन्य दुस्साहस की भी निंदा की गई। आतंकवाद के विरुद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन शीघ्र बुलाए जाने की भारत की मांग का समर्थन किया गया। अधिकाधिक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी बनाने की मांग करने लगे हैं सुरक्षा परिषद के प्रस्तावित विस्तार की स्थिति में उसकी स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को भी अधिकाधिक समर्थन मिल रहा है। हम, विश्वव्यापी, व्यापक और भेदभाव रहित नाभिकीय निःशस्त्रीकरण की अपनी मांग को दोहराते हैं। साथ ही, हमारी सुरक्षा आवश्यकताएं हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति होने तक आत्मरक्षा हेतु एक विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय शस्त्र अपने पास बनाए रखने के लिए बाध्य करती हैं।

मेरी सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ अपने विविध संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उनकी संख्या बीस मिलियन है तथा वे सारे विश्व में फैले हुए हैं तथा वे जिन देशों में बसे हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ भी घनिष्ठ सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संपर्क बनाए रखे हैं। भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है।

माननीय सदस्यगण, आज आप बजट सत्र शुरू कर रहे हैं। रेल तथा आम बजट से संबंधित वित्तीय कार्यों के अलावा पर्याप्त विधायी कार्य भी इस सत्र में किया जाना है। दो अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक बनाने की भी आवश्यकता है। यह सभी कार्य मूलरूप में हमारे देश के सर्वांगीण तथा तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास से जुड़ा है। लोगों ने आपको चुना है, उन्हें आप से बहुत आशा है कि संसद के बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित कार्य को पूरा करने में किया जाएगा।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द

अपराह्न 1.32 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे दो सम्मानित सहयोगियों, श्री जितेन्द्र प्रसाद और श्रीमती निशा चौधरी तथा आठ भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री यशवन्त सिंह कुशवाहा, रामकंवर बेरवा, भवानी लाल वर्मा, डा. सुशीला नैय्यर, श्री जी. लक्ष्मणन, श्रीमती विजया राजे सिंधिया, सर्वश्री वी. एन. गाडगिल और मनुभाई शाह के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री जीतेन्द्र प्रसाद वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व 1971 से 1977 और 1980 से 1989 तक वह पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने 1994 से 1999 तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की।

इससे पहले श्री प्रसाद 1970–71 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। श्री जितेन्द्र प्रसाद ने एक कृषक परिवार में जन्म लिया था। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्गों के लिए अथक श्रम किया।

श्री प्रसाद एक विख्यात और लोकप्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वह एक योग्य सांसद भी थे। वह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे। वह एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने आम आदमी की समस्याओं को सदन में व्यक्त करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा।

श्री प्रसाद ने अनेक देशों की यात्रा की और वह 1983 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री प्रसाद का निधन कुछ समय बीमार रहने के बाद 63 वर्ष की आयु में 16 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में हुआ।

श्रीमती निशा चौधरी लोक सभा की वर्तमान सदस्य थीं और वह गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। वह 1996 से 1999 के दौरान ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा की सदस्य भी रहीं।

श्रीमती चौधरी एक योग्य सांसद थीं, वह 1996 से 1998 के दौरान रक्षा संबंधी समिति तथा 1998–99 के दौरान संचार संबंधी समिति, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संयुक्त समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति तथा 1999 से 2001 के दौरान गृह कार्य संबंधी समिति तथा अपनी मृत्यु के समय तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य रहीं।

पेशे से शिक्षिका, श्रीमती चौधरी एक सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। वह अनेक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ी थीं। वह गुजरात राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष थीं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के कल्याण

हेतु, समाज के पिछड़े वर्गों तथा गरीब तबकों, विशेष रूप से जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए सतत कार्य किए।

श्रीमती निशा चौधरी का निधन 49 वर्ष की आयु में 30 जनवरी, 2001 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ।

श्री यशवंत सिंह कुशवाहा चौथी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का 1967 से 1970 तक प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री कुशवाहा 1948 से 1952 तक मध्य भारत विधान सभा के सदस्य थे और 1957 से 1962 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

कुशवाहा एक योग्य प्रशासक थे तथा तत्कालीन ग्वालियर उन्होंने मंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में मध्य भारत सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्य किया।

वह पेशे से पत्रकार थे और उन्हें उनकी साहित्यिक कृति "नेह–दीप" के लिए मध्य प्रदेश सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, वह अनेक दैनिक एवं साप्ताहिक पत्र–पत्रिकाओं के सम्पादक भी थे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता श्री कुशवाहा ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने खादी के विकास के लिए भी कार्य किया।

विख्यात शिक्षाशास्त्री श्री कुशवाहा विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों से जुड़े रहे।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा का निधन 78 वर्ष की आयु में 25 अगस्त, 1999 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री राम कंवर बेरवा 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने राजस्थान के टोंक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1980 से 1985 तक राजस्थान के फागी विधान सभा का भी प्रतिनिधित्व किया।

सक्रिय संसदविद्, श्री बेरवा अनेक संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक श्री बेरवा ने 1959 से 1965 तक ग्राम पंचायत के सदस्य और अपने राज्य में कृषि सहकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री बेरवा एक जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी संगठनों से सम्बद्ध थे तथा उन्होंने कृषि विकास एवं पद–दलितों तथा श्रमिकों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। वह अखिल भारतीय बेरवा समाज के संस्थापक थे और उन्होंने दहेज तथा मद्यपान जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया।

श्री राम कंवर बेरवा का निधन 67 वर्ष की आयु में 21 दिसम्बर, 2000 को जयपुर, राजस्थान में हुआ।

श्री भवानी लाल वर्मा 1991 से 1996 में पूर्व मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) के जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पहले श्री भवानी लाल वर्मा 1967 से 1990 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। वह एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में उपमंत्री के रूप में 1975 से 1977 तक तथा राज्य मंत्री के रूप में 1980 से 1983 तक और 1989–90 के दौरान कार्य किया।

एक सक्रिय सांसद श्री वर्मा मध्य प्रदेश विधान सभा में 1985–86 के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 1986–87 के दौरान याचिका समिति और 1987–88 के दौरान सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सभापति थे।

व्यवसाय से कृषक, श्री वर्मा 1987 में कृषि आयोग के सदस्य थे। उन्होंने बागवानी तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों में गहन रुचि ली।

श्री भवानी लाल वर्मा का निधन 75 वर्ष की आयु में 30 दिसम्बर, 2000 को बिलासपुर, मध्य प्रदेश में हुआ।

डा. सुशीला नैय्यर 1957 से 1970 तक दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा और 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा की सदस्य थीं। वह उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं।

डा. नैय्यर एक कुशल प्रशासक थीं और उन्होंने वर्ष 1962 से 1967 तक केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

इससे पहले डा. नैय्यर वर्ष 1952 से 1956 तक दिल्ली विधान सभा की सदस्य रही थीं। उन्होंने वर्ष 1952 से 1955 तक दिल्ली राज्य में स्वास्थ्य मंत्री, पुनर्वास और परिवहन और चेरीटेबल एंडोमेंट्स मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1955–56 के दौरान उन्होंने दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया।

ख्यातिलब्ध स्वतन्त्रता सेनानी डा. नैय्यर ने स्वतन्त्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1942 से 1944 तक महात्मा गांधी के साथ उन्हें भी जेल की सजा हुई।

पेशे से चिकित्सक होने के कारण वह महात्मा गांधी के स्वास्थ्य की देखभाल करती थीं और वह सेवाग्राम में महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की संस्थापक निदेशक थीं। वह 1964 से 1967 तक मातृत्व और बाल स्वास्थ्य समिति, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और इसके वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की सभापति तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा भारत तपेदिक संघ की अध्यक्ष रही थीं।

एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में डा. नैय्यर विभिन्न सामाजिक संगठनों और चिकित्सा संस्थाओं से सम्बद्ध रहीं और उन्होंने ग्रामीण विकास तथा दलितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अनवरत रूप से कार्य किया।

डा. नैय्यर ने साहित्य में भी गहन रुचि ली तथा उन्हें इसके लिए 1952 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने तीन पुस्तकों अर्थात् "हमारी बा", "कस्तूरबा–वाईफ ऑफ गांधी" और "कारावास की कहानी" का प्रकाशन किया।

डा. सुशीला नैय्यर का निधन 86 वर्ष की आयु में 3 जनवरी, 2001 को गुजरात में सेवग्राम में हुआ।

श्री जी. लक्ष्मणन 1980 से 1984 तक तमिलनाडु के मद्रास उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने इस अवधि के दौरान लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य किया।

इससे पूर्व वह 1974 से 1980 तक राज्य सभा के सदस्य थे। वह राज्य सभा के उप–सभापति की तालिका के भी एक सदस्य थे।

एक कुशल सांसद, श्री लक्ष्मणन विभिन्न परामर्शदात्री, संयुक्त और प्रवर समितियों के सदस्य थे। उन्होंने गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति और ग्रंथालय समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया।

सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, श्री लक्ष्मणन मजदूर संघ आन्दोलन से जुड़े रहे और उन्होंने श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए हमेशा संघर्ष किया।

कई देशों की यात्रा कर चुके, श्री लक्ष्मणन, 1980 में बोन में अंतर–संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री जी. लक्ष्मणन का निधन 77 वर्ष की आयु में 10 जनवरी, 2001 को तमिलनाडु में चेन्नई में हुआ।

श्रीमती विजया राजे सिंधिया 1957 से 1967 तक, 1971 से 1977 तक तथा 1989 से 1999 तक दूसरी, तीसरी, पांचवीं तथा नौवीं से बारहवीं लोक सभा की सदस्य थीं और इनमें उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड और गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती सिंधिया 1978 से 1989 तक राज्य सभा की सदस्या भी थीं। इससे पहले, वह 1967 से 1971 तक मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्य थीं।

श्रीमती सिंधिया एक योग्य सांसद थीं और वह 1996 से 1999 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति की सदस्य रहीं। वह 1990–91 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य भी रहीं।

वह ग्वालियर के शाही परिवार की सदस्य थीं। उन्होंने बच्चों के कल्याण तथा महिलओं में शिक्षा प्रसार हेतु सतत् प्रयास किए।

वह एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह शिशु मंदिर तथा सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर की संस्थापक अध्यक्ष थीं। उन्होंने 40 वर्षों तक अखिल भारतीय महिला कांफ्रेंस (ग्वालियर शाखा) तथा माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एंड साइंस (एम. आई.टी.एस.) बोर्ड ऑफ गवर्नस, ग्वालियर के अध्यक्ष के रूप में सेवा की।

उनकी साहित्य में गहन रुचि थी और उनकी "द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर" और "राजपथ से लोकपथ" दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्रीमती विजया राजे सिंधिया का निधन 25 जनवरी, 2001 को बीमारी के पश्चात् 82 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री वी.एन. गाडगिल 1980 से 1991 तक महाराष्ट्र के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री गाडगिल 1971 से 1980 और 1994 से 2000 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री गाडगिल एक कुशल प्रशासक थे जिन्होंने 1975 से 1977 और 1983 से 1986 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया।

श्री गाडगिल एक जाने–माने संसदविद् थे। वह एक पक्के धर्मनिरपेक्ष और निडर नेता थे। वह वर्ष 1974–75 के दौरान राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति रहे। उन्होंने वर्ष 1990 के दौरान ग्रंथालय समिति और रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में भी सेवा की।

श्री गाडगिल पेशे से वकील थे। वह विभिन्न संगठनों से सम्बद्ध थे। वह वर्ष 1955 से 1960 तक बाम्बे के रुपारेल कालेज के अर्थशास्त्र के आनरेरी प्रोफेसर और 1960 से 1966 के दौरान बाम्बे के न्यू लॉ कालेज में कांस्टीट्यूशन लॉ के प्रोफेसर थे।

श्री गाडगिल ने अनेक देशों की यात्राएं की थीं। उन्होंने 1972 में ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तथा 1975 में वह संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री गाडगिल एक विद्वान व्यक्ति थे तथा मराठी इनसाइक्लो- [illegible] के परामर्शदाता सम्पादक थे। उन्होंने मराठी में तीन पुस्तकों [illegible] एंड द लॉ", "ट्रायल्स ऑफ ग्रेट मैन" तथा [illegible]रायल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया" का प्रकाशन किया।

श्री वी.एन. गाडगिल का निधन 73 वर्ष की आयु में 6 फरवरी, 2001 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री मनुभाई शाह तत्कालीन बम्बई राज्य के मध्य सौराष्ट्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा गुजरात के जाम नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957 से 1967 तक दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। वर्ष 1956–57 तथा 1970 से 1976 तक वह राज्य सभा के सदस्य भी थे।

श्री शाह 1948 से 1956 तक सौराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे और वह राज्य सरकार में उद्योग, वित्त तथा योजना मंत्री भी रहे।

एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, श्री शाह ने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें तीन वर्ष का कारावास मिला।

एक सुप्रसिद्ध सांसद और सुयोग्य प्रशासक, श्री शाह ने 1956 से 1967 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में विभिन्न पदों पर विशिष्ट सेवा की। उन्होंने केन्द्रीय पुनर्वास बोर्ड, गुजरात औद्योगिक विकास निगम और गुजरात औद्योगिक निवेश निगम के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, श्री शाह ने औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और भारी, लघु उद्योग और ग्रामोद्योग स्थापित करने में गहन रुचि ली।

श्री मनुभाई शाह का निधन 28 दिसम्बर, 2000 को 85 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप से हुई हजारों लोगों की मृत्यु तथा हजारों अन्य घायलों के बारे में उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में अभूतपूर्व तीव्रता का एक भूकंप आया। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसका असर देश के विभिन्न भागों में भी महसूस किया गया। इससे कच्छ जिले के भुज, भचाऊ, अंजार और रापर तालुकों के अधिकांश क्षेत्र नष्ट हो गए और अहमदाबाद जिले तथा गुजरात के अन्य भागों में इस भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। इसके परिणामस्वरूप व्यापक पैमाने पर मृत्यु और विनाश लीला हुई। मानव जीवन, आवास एवं सम्पत्ति की अकल्पनीय क्षति हुई है। लगभग 19,000 लोग मृत्यु की गोद में समा गए और हजारों अन्य घायल तथा बेघर हो गए। इस भूकंप से हुई पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

हम मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और घायलों के लिए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 1.49 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 1.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 फरवरी, 2001/ 1 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।